राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 355/2007

अमरचन्द कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. रजिस्ट्रार, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.12.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में आदेश दिनांक 07.12.1988 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने टंकण परीक्षा दिनांक 22.12.1990 को उत्तीर्ण की। अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 07.12.1988 से 9 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 07.12.1997 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था और दिनांक 07.12.2006 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था, परंतु अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जिस पर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की। आलोच्य आदेश दिनांक 12.09.2006 (अनुलग्नक–21) प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि अपीलार्थी को टंकण परीक्षा 22.12.1990 उत्तीर्ण करने की तिथि से 9 वर्ष बाद प्रथम चयनित का लाभ दिनांक 22.12.1999 को देय होता है। यह भी माना गया कि अपीलार्थी के वर्ष 1994–95, 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित थी। अतः अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान 22.12.1999 से 4 वर्ष पश्चात अर्थात् दिनांक 22.12.2003 से देय होता है। इस प्रकार अपीलार्थी को दिनांक 22.12.2003 का प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलर्थी को प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक से गणना न कर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से गणना कर दिया जाना उचित नहीं था।

उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत WLC (Raj.) UC 677 Govind Singh V. The State of Rajasthan and Ors. प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि जहां पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई है, वहां पर टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है और टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ न देकर प्रथम नियुक्ति की तिथि से याची को चयन श्रेणी प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो प्रतिकूल प्रविष्ठियां वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शायी गई, उसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। ऐसे में प्रतिकूल प्रविष्ठियों के आधार पर चयनित वेतनमान का लाभ आगे किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में प्रतिकूल प्रविष्ठियों को नजरअंदाज करके अपीलार्थी को देय तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

2. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त किया जा चुके है। प्रतिकूल प्रविष्ठियों के आधार पर चयनित वेतनमान को आगे किया जाना उचित है, क्योंकि चयनित वेतनमान संतोषजनक सेवाओं के आधार पर दिया जाता है। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुकित दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान देय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति टंकण परीक्षा उतर्तीण करने की शर्त पर प्रदान की गयी थी, अपीलार्थी ने नियुक्ति स्वीकार करने के साथ–साथ नियुक्ति पत्र में अंकित शर्तों को भी स्वीकार कर लिया। अब वह किसी भी प्रकार की आपत्ति करने से प्रिन्सिपल ऑफ एस्टोपल के सिद्धान्त के आधार पर एस्टोप्ड/निबन्धित है।

3. हमनें उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। अपीलार्थी की प्रथम आपत्ति यह रही है कि अपीलार्थी को प्रथम चयतिन वेतनमान का लाभ दिये जाने के लिए सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की तिथि से न करते हुए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में पारित न्यायिक दृष्टांत WLC (Raj.) UC 677 Govind Singh V. The State of Rajasthan and Ors. का अवलोकन किया। उक्त निर्णय मेंऐसे व्यक्ति जो कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के आधार पर नियुक्त है, उनके द्वारा टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं

मानी गई है और प्रथम नियुक्ति की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना माना है। ऐसे में हम प्रत्यर्थी विभाग के इस आदेश को उचित नहीं मानते हैं कि अपीलार्थी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से सेवा की गणना कर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ देय होगा। अपीलार्थी की दूसरी आपत्ति यह रही है कि उसके वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित चार प्रतिकूल प्रविष्ठियों के आधार पर उसके चयनित वेतनमान के लाभ को 4 वर्ष आगे किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में हमारे मत में चयनित वेतनमान का लाभ संतोषजनक सेवाओं के आधार पर दिया जाता है। स्वीकृत रूप से अपीलार्थी के वर्ष 1994–95, 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित थी। ऐसे में इन वर्षों में इन वर्षों पर अपीलार्थी का कार्य संतोषपूर्ण होना नहीं पाया गया। अपीलार्थी ने इन प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटान के संबंध में अपना अभ्यावेदन भी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखा गया है। अतः जब अपीलार्थी की प्रतिकूल प्रविष्ठियां विद्यमान है तो उनका कार्य संतोषजनक होना नहीं मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ 4 वर्ष आगे किये जाने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य मानते हैं। प्रत्यर्थी विभाग को केवलमात्र इस हद तक निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.12.1988 से सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान का लाभ देय होगा। 4 वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्ठियों अंकित होने के कारण प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष के स्थान पर 13 वर्ष बाद देय होगा। अतः अपीलार्थी दिनांक 07.12.2001 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्तानुसार अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये एवं अपीलार्थी को समस्त एरियर राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित किया जाए। इस आदेश की पालना 3 सप्ताह में की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)